# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 242 /2023 तारीख रजू :- 29.12.2023

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/604

उनवान

मीना पत्नी गोविन्द जाति धाकड़ निवासी रणजीत नगर हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन ---सायला

बनाम

खुशहाल पुत्र प्रहलाद वगै0 जाति धाकड़ हाई स्कूल के पीछे हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, राज0 ---गैरसायलान--29

| दिनांक | फर्द अहकाम | |
|---|---|---|
| 29.12.2023 | आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को बेदखल नही करने , रहन व्यय नही करने , मजाहमत मदाखलत नही करने एवं शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने हेतु गैरसयालान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5509/1 वाकेग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक सायल के हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 23.01.2024 को पेश हों।<br>(सुरेश कुमार हरसोलिया)<br>उप खण्ड अधिकारी<br>हिण्डौन जिला करौली | |
| 23/1/24 | पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्व आदेशानुसार पेश हो।<br>दिनांक........ 27-6-24 | |
| 2/4/24 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] कुमार [illegible] सायल व सायल [illegible] सायल वकील [illegible] है। सायल व सायल वकील [illegible] नोटिस में राजीनामा करना चाहते हैं अत: मु.नं. 242/23 T.I. मीना बनाम खुशहाल [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] नम्बर में जमा हो। | Not pressed. मीना identify by Advo. |

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner